राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ

एस बी सिविल रिट याचिका संख्या 650/2024

1. वेदराम पुत्र रामसिंह , निवासी बलेड़ी , तहसील टोडाभीम , जिला करौली।

2. रामबाबू पुत्र नारायण , निवासी बलेड़ी , तहसील टोडाभीम , जिला करौली।

3. शिवराम पुत्र नारायण, निवासी बालेड़ी , तहसील टोडाभीम , जिला करौली।

4. रामकिशोर पुत्र नारायण, निवासी बालेड़ी , तहसील टोडाभीम , जिला करौली।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. रामरूप पुत्र गिर्राज , निवासी बलेड़ी , तहसील टोडाभीम , जिला करौली।

2. रामभरोसी पुत्र मांगीलाल , निवासी बालेड़ी , तहसील टोडाभीम , जिला करौली।

3. अगर सिंह उर्फ हरिया पुत्र श्रीलाल, निवासी बलेड़ी, तहसील टोडाभीम, जिला करौली।

4. विज्जे उर्फ विजेन्द्र पुत्र श्रीलाल, निवासी बलेड़ी, तहसील टोडाभीम, जिला करौली।

5. हरकेश पुत्र श्रीलाल , निवासी बालेड़ी , तहसील टोडाभीम , जिला करौली।

(इस मामले में डी.बी. एसएडब्ल्यू/61/2025 दायर किया गया है। कृपया आगे के आदेशों के लिए इसे देखें)
(29/05/2025 को दोपहर 01:32:46 बजे डाउनलोड किया गया)

6. राज्जा @ राजेंद्र पुत्र श्रीलाल , निवासी बालेड़ी , तहसील टोडाभीम , जिला करौली ।

7. जगदीश पुत्र पूरण, निवासी बलेड़ी, तहसील टोडाभीम, जिला करौली।

8. घनश्याम पुत्र पूरण, निवासी बलेड़ी, तहसील टोडाभीम, जिला करौली।

9. रामेश्वर पुत्र रामखिलाड़ी, निवासी बलेड़ी, तहसील टोडाभीम, जिला करौली।

10. तारेश पुत्र रामखिलाड़ी, निवासी बलेड़ी, तहसील टोडाभीम, जिला करौली।

11. भूर सिंह पुत्र रामभरोसी , निवासी बलेड़ी , तहसील टोडाभीम , जिला करौली।

12. बबुआ @ रामोतार पुत्र रामरूप , निवासी बलेड़ी , तहसील टोडाभीम , जिला करौली ।

13. भरत सिंह पुत्र मलुआराम , निवासी बालेड़ी , तहसील टोडाभीम , जिला करौली।

14. हर रूप पुत्र बुद्ध उर्फ रामहेत , निवासी बालेड़ी , तहसील टोडाभीम , जिला करौली।

----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(यों) के लिए : श्री नसीमुद्दीन काजी , एडवोकेट

(इस मामले में डी.बी. एसएडब्ल्यू/61/2025 दायर किया गया है। कृपया आगे के आदेशों के लिए इसे देखें)
(29/05/2025 को दोपहर 01:32:46 बजे डाउनलोड किया गया)

--

माननीय श्रीमान. जस्टिस अवनीश झिंगन

03.04.2024 को निर्णय सुरक्षित रखा गया

15.04.2024 को फैसला सुनाया गया

1. निषेधाज्ञा के लिए वाद की अस्वीकृति और अपीलों के खारिज होने से व्यथित होकर, वर्तमान रिट याचिका दायर की गई है।

2. संक्षिप्त तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता खसरा संख्या 426/556 की 1.2600 हेक्टेयर भूमि के दर्ज खातेदार थे, जो गांव बलेड़ी , तहसील टोडाभीम , जिला में स्थित है। करौली । याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि उन्होंने एक छोटा मंदिर बनाया है और शेष भूमि का उपयोग कृषि उद्देश्यों के लिए कर रहे हैं। प्रतिवादियों द्वारा याचिकाकर्ताओं को जबरन बेदखल करने के प्रयास के कारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (जिसे आगे '1955 का अधिनियम' कहा जाएगा) की धारा 188 के तहत निषेधाज्ञा के लिए वाद दायर करना आवश्यक हो गया।

3. वाद के लंबित रहने के दौरान, उप-मंडल अधिकारी के निर्देश पर, तहसीलदार ने दिनांक 25.02.2021 को एक स्थल रिपोर्ट तैयार की। रिपोर्ट के अनुसार, विचाराधीन भूमि की चारदीवारी थी, 15 फीट x 15 फीट का चबूतरा था , देवताओं का एक छोटा सा स्थान था और लगभग 400 ' पीलू के पेड़' थे। यह भूमि लंबे समय से अनुपयोगी पड़ी थी और इस पर कभी खेती नहीं की गई थी। प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर और याचिकाकर्ताओं द्वारा भूमि पर अपना कब्जा साबित करने में विफल रहने पर, निषेधाज्ञा वाद 27.08.2021 को खारिज कर

(इस मामले में डी.बी. एसएडब्ल्यू/61/2025 दायर किया गया है। कृपया आगे के आदेशों के लिए इसे देखें)
(29/05/2025 को दोपहर 01:32:46 बजे डाउनलोड किया गया)

दिया गया। प्रथम अपील और द्वितीय अपील क्रमशः 14.02.2023 और 22.11.2023 को खारिज कर दी गईं। अतः वर्तमान रिट याचिका।

3. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि निचली अदालतों ने यह निष्कर्ष निकालने में गलती की है कि याचिकाकर्ता वाद भूमि के खातेदार होने के बावजूद खेती के कब्जे में नहीं हैं।

4. राजस्व न्यायालय और दोनों अपीलीय न्यायालयों द्वारा दर्ज किए गए सुसंगत तथ्यात्मक निष्कर्ष इस प्रकार हैं:- (i) विचाराधीन भूमि की चारदीवारी थी, (ii) 15 फुट का चबूतरा बना हुआ था, (iii) देवताओं की मूर्तियों के लिए 4 x 6 फुट का छोटा चबूतरा है, (iv) धार्मिक स्थल का पक्का निर्माण है, (v) वहाँ ' पीलू ' के 140 पुराने पेड़ और खेजड़ी के 15 बड़े पेड़ हैं, और (vi) भूमि लंबे समय से अनुपयोगी पड़ी है और उस पर कोई खेती नहीं की गई थी। इसके अलावा, खसरे के अनुसार, चतुर्वर्षीय की गिरदावरी संवत 2070 में याचिकाकर्ताओं का कृषि स्वामित्व सिद्ध नहीं हुआ।

5. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत हस्तक्षेप का दायरा सीमित है। दर्ज किए गए निष्कर्षों के मद्देनजर, प्रतिवादियों को खेती के कब्जे में हस्तक्षेप न करने से रोकने हेतु निषेधाज्ञा जारी करने की प्रार्थना को उचित रूप से अस्वीकार कर दिया गया। अपीलीय आदेशों के साथ-साथ विवादित आदेश में कोई तथ्यात्मक या कानूनी त्रुटि नहीं है।

6. रिट याचिका खारिज की जाती है।

(अवनीश झिंगन) ,जे

एचएस/458

(इस मामले में डी.बी. एसएडब्ल्यू/61/2025 दायर किया गया है। कृपया आगे के आदेशों के लिए इसे देखें)
(29/05/2025 को दोपहर 01:32:46 बजे डाउनलोड किया गया)

रिपोर्ट योग्य:- हाँ

अस्वीकरण: इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निश्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।

अधिवक्ता अविनाश चौधरी

(इस मामले में डी.बी. एसएडब्ल्यू/61/2025 दायर किया गया है। कृपया आगे के आदेशों के लिए इसे देखें)
(29/05/2025 को दोपहर 01:32:46 बजे डाउनलोड किया गया)